कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 1997 / 14—1 आगरा : दिनांक : नवम्बर 20, 2023

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) आगरा।

विषय : जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बांईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बांईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक—860/ नमामि गंगे आगरा /312 दिनांक 06.11.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.10.23 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके बिन्दु सं0—2 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आपके द्वारा जो गैर वनभूमि उपलब्ध करायी गयी है उसका आपके द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए कि 1.0 हे0 भूमि वनभूमि से बाहर अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए तथा उसका राजस्व मैप के अनुसार जियोरिफ्रेंश मैप भी आपके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है।

अतः आप भारत सरकार के बिन्दु सं0—2 एवं 3 का अनुपालन करते हुए सम्बन्धित अभिलेख परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

A Kumar

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,आगरा।

पत्रांक 1997 / दिनांकित

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, फतेहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उक्त का निरीक्षण कर 1.0 हे0 गैर वनभूमि जो वनभूमि से बाहर हो के अनुसार पौलीगॉन बनाकर इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

A Kumar

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

o/c

Com-3/Draftman/Letter-20/280